आमजन को हीट वेव से राहत देने के लिए चिकित्सा विभाग अपनी पूरी तैयारी रखे

मुख्यमंत्री भजनलाल ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश दिये

जयपुर, 2 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लू-तापघात (हीट वेव) और गर्मी जनित अन्य बीमारियों से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए चिकित्सा विभाग अपनी पूरी तैयारी रखे और जिला कलक्टर नियमित तौर पर अस्पतालों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का पूर्ण रख-रखाव किया जाए एवं किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शर्मा ने कहा कि गर्मी के मौसम में आमजन को बिजली, पानी एवं चिकित्सकीय सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारी संवेदनशीलता के साथ पूरे समर्पण भाव से काम करें, जिससे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को विकसित कर आत्मनिर्भर बनाया जाए तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाते हुए महामारियों से बचाव के लिए उच्च स्तर की तैयारियां की जाएं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में लू से निपटने की तैयारियों के मद्देनजर अस्पतालों में दवाइयां और उपकरणों की हर समय उपलब्धता हो। हीट वेव की स्थिति में नियमित निगरानी रखी जाए तथा चिकित्सालयों में हर समय सभी आवश्यक मेडिकल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि लू-तापघात और गर्मी जनित अन्य बीमारियों से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संचालित सभी आयुष्मान आरोग्य मन्दिरों में इस वर्ष तक प्रमुख 12 सेवाएं मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एम्बुलेंस सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि इन्हें अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही, एम्बुलेंस की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाए। शर्मा ने कहा कि राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संधारित करने के लिए प्रदेश के हर व्यक्ति की न केवल आभा आईडी बनाई जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आभा आईडी का अधिक से अधिक उपयोग शीघ्र प्रारम्भ हो।

■ मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलैक्टर नियमित तौर पर अस्पतालों का निरीक्षण करें। किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

इस दौरान, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नवाचारों का प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर सहित, वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

भाखड़ा बांध से हरियाणा को 8 दिन तक अतिरिक्त पानी मिलेगा

नई दिल्ली, 02 मई। केन्द्र सरकार ने हरियाणा की पानी की जरूरतों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में सलाह दी गई कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) का फैसला लागू किया जाए। इसके तहत, अगले आठ दिनों तक भाखड़ा डैम से हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, बैठक में यह भी तय हुआ कि डैम भरने के दौरान पंजाब को भी जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पानी दिया जाएगा। इस बैठक में केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिनिधि और बीबीएमबी के अफसर शामिल हुए।

■ केन्द्रीय गृह सचिव के साथ बैठक में किए गए फैसले के तहत 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिया जाएगा।

इस बैठक का मकसद था, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों की पानी की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने के फैसले को अमल में लाना। बीबीएमबी जल्द ही अपने बोर्ड की बैठक बुलाएगा, जिसमें पानी छोड़ने के तरीके और समय को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी।

भाखड़ा और पोंग डैम से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पानी की जरूरतें पूरी होती हैं। बीबीएमबी हर साल 21 मई से अगले साल 21 मई तक के लिए इन राज्यों का पानी का कोटा तय करता है।

केन्द्रीय मंत्री रिजीजू भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर वियतनाम पहुंचे

ये पवित्र अवशेष वेसाक दिवस स्मरणोत्सव के रूप में 2 मई से 21 मई तक वियतनाम के विभिन्न भागों में प्रदर्शित किए जाएंगे

नयी दिल्ली/ हो चीमिन्ह सिटी, 02 मई। भारत और वियतनाम के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आदान-प्रदान के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, आंध्र प्रदेश के मंत्री कंदुला दुर्गेश, भिक्षुओं और अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल साथ भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम की राजधानी हो ची मिन्ह शहर पहुंचे है।

ये पवित्र अवशेष 02 मई से 21 मई तक वेसाक दिवस स्मरणोत्सव के भाग के रूप में वियतनाम में लोगों के दर्शन के लिए विभिन्न पवित्र स्थलों पर रखे जाएंगे। संस्कृति मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार रिजिजू ने इस अवसर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत के लोगों की ओर से एक सार्थक संदेश दिया। उन्होंने वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय में भारत से लाए गए पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया। इस अवसर पर औपचारिक प्रार्थना के बाद अवशेषों को थान टैम मठ में स्थापित किया गया।

सारनाथ से भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों को आज एक विशेष विमान द्वारा हो ची मिन्ह सिटी पहुंचाया गया। इसके साथ ही वियतनाम में 06 से 08 मई तक मनाए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह की तैयारियों का शुभारंभ हो गया है। इन अवशेषों के आगमन पर वियतनाम सरकार और वियतनाम बौद्ध संघ ने आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जो दोनों देशों को एकजुट करने वाले गहन और साझा आध्यात्मिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। पवित्र अवशेषों को औपचारिक प्रार्थना के बाद थान ताम मठ में श्रद्धापूर्वक स्थापित किया गया।

पवित्र अवशेषों को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध परिसंघ के सहयोग से प्रदर्शित किया जा रहा है। इन्हें 07 मई तक हो ची मिन्ह शहर में जनता के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, उसके बाद 21 मई तक ताई निन्ह, हनोई और हा नाम में प्रदर्शित किया जाएगा।

पवित्र अवशेषों को आज एक भव्य सार्वजनिक शोभा यात्रा के माध्यम से थान ताम पैगोडा लाया गया, जहाँ उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा।

इस उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएँगे, जिसमें विशेष रूप से तैयार की गई प्रदर्शनी और भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित नृत्य-नाटिका शामिल है, जो भारत-वियतनाम बौद्ध विरासत की गहरी जड़ों को प्रदर्शित करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मामले में अदालती आदेश की पालना के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। प्रकरण में पांच सौ टेंडर की जांच की जानी है, जिसमें समय लगने की संभावना है। इसलिए मामले में आठ सप्ताह का समय दिया जाए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई आठ सप्ताह के लिए टाल दी है।

याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने बताया कि साल 2019 में डीओआईटी के तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की ओर से पेश एफआर को एसीबी कोर्ट ने गलत मंजूर किया है। मामले में गत सुनवाई को अदालत ने एसीबी के डीजी रवि मेहरडा की उपस्थिति में डीओआईटी की ओर से बीते पांच साल में दिए सभी टेंडरों की जांच करने के मौखिक आदेश दिए थे।

डॉक्टरों को सिर्फ जैनरिक दवाएं लिखनी चाहिए, कंपनी ब्रांड की नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा होगा तब ही दवा कम्पनियों का भ्रष्टाचार रूकेगा

नई दिल्ली, 02 मई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर अगर सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें तो दवा कंपनियों की रिश्वतखोरी बंद हो सकती है। शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें फार्मास्युटिकल मार्केटिंग की समान संहिता पर कानून बनने तक दवा कंपनियों की अनैतिक विपणन प्रथाओं को नियंत्रित करने के दिशा-निर्देश की मांग की गई थी।

मामले में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, दवा कंपनियां अत्याधिक और तर्कहीन दवाएं लिखने के लिए डॉक्टरों पर दबाव बनाती हैं और रिश्वत की पेशकश करती हैं। इस पर अंकुश तभी लगेगा जब डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं ही लिखने का वैधानिक आदेश आएगा।

■ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान को एक मिसाल बताया और कहा कि यहाँ कार्यकारी आदेश है कि डॉक्टर्स को जैनरिक दवा ही लिखनी होगी।

पीठ ने कहा, चूंकि मामले में कुछ समय लगेगा, इसलिए वह इसे अवकाश के बाद सुनवाई के लिए रखेगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि प्रतिवादियों ने जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई है। हालांकि, रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि समिति ने सिफारिश के रूप में क्या सुझाव दिया है।

इस पर जस्टिस मेहता ने पूछा, क्या कोई वैधानिक आदेश है कि डॉक्टरों को सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखनी चाहिए, न कि किसी विशिष्ट कंपनी या ब्रांड की दवाओं को। वकील ने जवाब दिया कि कोई वैधानिक जनादेश नहीं है और सिर्फ एक स्वैच्छिक कोड है कि डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखनी चाहिए।

जस्टिस मेहता ने कहा, राजस्थान में, एक कार्यकारी निर्देश है कि प्रत्येक मेडिकल पेशेवर को जेनेरिक दवा लिखनी होगी। इसे एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी नए उप वायु सेना प्रमुख

नई दिल्ली, 02 मई। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने शुक्रवार को नए उप वायु सेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने एयर मार्शल एस.पी.धरकर का स्थान लिया है, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए।

कार्यभार संभालने से पहले एयर मार्शल तिवारी गांधीनगर स्थित दक्षिण-पश्चिमी वायु कमान (एसडब्ल्यूएसी) के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में तैनात थे। वायु सेना मुख्यालय 'वायु भवन' में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

■ उन्हें 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए एयर मार्शल एस.पी. धारकर की जगह नियुक्त किया गया है।

भारतीय वायु सेना ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, और वायु सेना मेडल से सम्मानित एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने 2 मई 2025 को उप वायु सेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है।

पाक अधिकृत कश्मीर के 1000 मदरसे बंद

समझा जाता है कि भारतीय सेना के हमले की आशंका में यह कदम उठाया गया है

इस्लामाबाद, 02 मई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में 1000 से अधिक मदरसे कम से कम 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को यह घोषणा की। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि भारत की तरफ से हमले के डर की वजह से पीओके में स्थित मदरसों को बंद कर दिया गया।

भारत यह दावा करता रहा है कि इन संस्थानों का इस्तेमाल आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने के रूप में किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ पीओके क्षेत्रों में कुछ हमले जरूर करेगा। 29 सितंबर 2016 को, भारतीय सेना के कमांडो की टीमों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में प्रवेश कर आतंकी ठिकानों में छिपे बैठे आतंकवादियों को खत्म किया था। यह कार्रवाई 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी में भारतीय सेना की एक चौकी पर हमला करने के दस दिन बाद हुई थी। हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे।

■ इसी बीच पाकिस्तान ने भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों के लिए वाघा बॉर्डर खोलने की घोषणा की।

एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि सरकार के निर्देशानुसार 1000 से अधिक मदरसे बंद कर दिए गए हैं। उन्हें कम से कम 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और छात्रों के लिए छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान ने बुधवार को गिलगित और स्कार्दू के लिए सभी घरेलू उड़ानें रद्द करने की घोषणा की। विदेशी उड़ानों की भी कड़ी निगरानी शुरू की गई। जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) को सभी आने वाले विदेशी विमानों की जांच करने का निर्देश दिया गया।

इस बीच पाकिस्तान ने भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों के लिए वाघा सीमा को खुला रखने की घोषणा की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए थे। पाकिस्तान विदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, "हालांकि भारत से पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी, लेकिन यदि भारतीय अधिकारी उन्हें अपनी ओर से सीमा पार करने की अनुमति देते हैं तो लाहौर में वाघा बॉर्डर हमारे नागरिकों के लिए खुला रहेगा।

'हिमांशी तुम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने हिमांशी के लिए पत्र लिखा और उसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के सचिवालय को मेल किया गया। ललिता ने कहा कि वे हिमांशी के करनाल के पते पर सीधे एक पत्र भेजेंगी। हिमांशी के शब्दों को दोहराते हुए ललिता ने लिखा, "आपने कहा, हमें सिर्फ शांति चाहिए और निश्चित रुप से यह सही है। हम न्याय भी चाहते हैं।" ललिता ने आगे लिखा, "आप स्पष्ट रुप से एक ऐसी महिला हैं जिसके विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं कि वो क्या चाहती है और विनय जैसे नौसेना के जवान का आपसे ज्यादा साहसी साथी कोई और नहीं हो सकता था। आपने इस देश के हर विचारशील नागरिक के विचारों को दोहराया है। और हम सबको, प्रेम व सद्भाव के आपके संदेश को दूर-दूर तक ले जाना चाहिए।"

गिरते पड़ते, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वाले एक ऐसे प्रमुख प्रोजैक्ट के रूप में रही है, जो वैश्विक व्यपार में भारत की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा, लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ायेगा तथा कार्गो ट्रांसशिपमैंट के लिये विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करेगा। विझिन्जम पोर्ट को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद, प्रधानमंत्री हेलिकॉप्टर से एयरपोर्ट पहुँचेंगे तथा फिर आंध्र प्रदेश जायेंगे।

'जातिगत जनगणना में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समुदाय का जातिगत आधार पर वर्गीकरण करके सरकार इस डेटा का उपयोग ऐसी नीतियां बनाने में कर सकती है जो कुछ खास समूहों को अपील करे और इस प्रकार सरकार मुस्लिम समुदाय में विभाजन कर देगी और मुस्लिम वोट बैंक की ताकत कम हो जाएगी।

इन चिंताओं को आरएसएस का वापसी अभियान से जुड़ा नैरटिव और बढ़ा रहा है, इस अभियान का उद्देश्य दलित और आदिवासी मूल के मुसलमानों व ईसाइयों को पुनः हिंदू बनाना है। विश्लेषकों का कहना है कि जातिगत जनगणना इस प्रयासों में मददगार साबित होगी क्योंकि इससे मुसलमानों की जाति के अधिकृत आंकड़े मिल जाएंगे, इनमें से कई मुस्लिम हिंदू दलित या ओबीसी हैं। एक बार यह वर्गीकरण हो जाए तो इसका इस्तेमाल कर इन समूहों को पुनः हिंदू बनाना आसान हो जाएगा। विडम्बना की बात यह है कि यही जातिगत पहचान वक्फ लॉ के विरोध के पीछे मुख्य चिंता है।

अधिकांश लोगों को डर है कि वक्फ भूमि को जातिगत पहचान व उनके इतिहास से जोड़कर, जमीन की वैधता पर सवाल उठाने का अप्रत्यक्ष प्रयास है।

सरकार का कहना है कि जातिगत जनगणना से एतिहासिक अन्याय का समाधान होगा तथा और जिन्हें जरुरत है, उनका कल्याण होगा। किन्तु आलोचकों को इस पर संदेह है। राजनैतिक विज्ञान की विदुषी शबाना फारुखी ने कहा, यह सर्वे प्रशासनिक हित साध सकता है, पर राजनैतिक रुप से यह दोधारी तलवार है, किन्तु पर इसमें उपेक्षित वर्गों के उत्थान की क्षमता है।

एतिहासिक, आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ

पिथौरागढ़ /नैनीताल, 02 मई। उत्तराखंड की ऐतिहासिक आदि कैलाश यात्रा का शुक्रवार को विधिवत् शुभारंभ हो गया । पार्वती कुंड के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना और द्वार खुलने के साथ ही यात्रा का शुभारंभ हो गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित ग्राम कुटी के पुजारी गोकर्ण सिंह रमेश सिंह, चेत सिंह के अलावा स्थानीय लोगों की मौजूदगी में शुभ मुहुर्त में विधिवत् पूजा अर्चना की गयी।

पाक प्रधानमंत्री का यू ट्यूब अकाउण्ट भारत में बैन

नई दिल्ली, 02 मई। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को भारत में ब्लॉक कर दिया। चैनल पर अब यह संदेश दिख रहा है- यह सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से जुडे सरकारी आदेश के कारण इस देश में उपलब्ध नहीं है।

शहबाज शरीफ का चैनल अब तक का सबसे हाई-प्रोफाइल खाता है, जिसे भारत सरकार ने ब्लॉक किया है। इससे पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री ख्वाजा आसिफ और सेना की मीडिया शाखा, आईएसपीआर के खाते भी ब्लॉक किए जा चुके हैं। सरकार ने केवल राजनेताओं के खिलाफ ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और न्यूज चैनलों के खातों पर भी कार्रवाई की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में 26 आम नागरिक मारे गए थे। जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा। भारत सरकार ने पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रही अफवाहों और दुष्प्रचार पर नकेल कसने के लिए यह कदम उठाए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उन कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जो भारत की संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए भ्रामक सामग्री फैला रहे हैं।

नैशनल हैरल्ड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अखबार नेशनल हैरल्ड, उसके सहयोगी पत्र-पत्रिकाओं और उसकी संपत्तियों की स्वामी एसोसिएटिड जनरल लिमिटेड (एजेएल) का यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएल) द्वारा अधिग्रहण किये जाने में कथित धांधली पर आधारित है। इस सौदे से कुछ समय पूर्व वाईआईएल का गठन किया गया था जिसकी अधिकांश हिस्सेदारी कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं राहुल व सोनिया के पास है। ईडी 2014 से इस मामले की जांच कर रही है। यह मामला पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद प्रकाश में आया।

राज्य सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि पिछली सुनवाई पर अदालत ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव का कार्यक्रम बताने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार व चुनाव आयोग ने अभी तक पंचायत चुनाव कार्यक्रम पेश नहीं किया है।

राज्य सरकार व चुनाव आयोग की ओर से लगातार अदालती निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने जवाब पेश कर दिया है। इसमें कहा है कि पंचायत पुनर्गठन एवं परिसीमन के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। वहीं, अदालत ने नगर पालिकाओं के चुनाव मामले में भी नोटिस जारी किए हैं। इसलिए यह मामला भी नगर पालिका चुनाव मामले में दायर याचिका के साथ ही सूचीबद्ध किया जाए।

राज्य सरकार के इस जवाब पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साल 2022 में दिए गए आदेश में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार व चुनाव आयोग, पंचायत पुनर्गठन और परिसीमन के कारण पंचायत चुनाव को स्थगित नहीं कर सकते।

समय पर चुनाव कराया जाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। नगर पालिका चुनाव का मामला अलग और नया है, जबकि पंचायत चुनाव वाले मामले में अदालत राज्य सरकार व चुनाव आयोग से चुनाव कार्यक्रम मांग चुकी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने चुनाव आयोग से जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 30 मई को तय की है।

महेश जोशी को 8 से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मानसिक तौर पर भी विचलित हुए हैं। अंतरिम जमानत के दौरान भी उन्होंने शर्तों का पूरी तरह से पालन किया है और साक्ष्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। वे जयपुर के निवासी हैं और उनकी चल-अचल संपत्ति जयपुर में ही है। उनके भागने का अंदेशा भी नहीं है।

वहीं, उनसे कोई भी अनुसंधान बाकी नहीं है। उसकी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने से केस की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि प्रकरण के सह आरोपी संजय बड़ाया की माता के निधन पर उन्हें 12 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी। इसलिए अंतरिम जमानत की अवधि को 9 दिन के लिए बढ़ाया जाए।

इसके जवाब में ईडी के अधिवक्ता अजात शत्रु मीणा ने कहा कि आरोपी को पहले ही 4 दिन की अंतरिम जमानत दी जा चुकी है।

ऐसे में यह प्रार्थना पत्र अदालत के पूर्व के आदेश को रिव्यू कराने के समान है। ऐसे में प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत में जोशी को आठ मई से 11 मई की सुबह 8 बजे तक अंतरिम जमानत का लाभ दिया है।

श्रीनगर के हिन्दू परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी

पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर के उक्त हिन्दू परिवार को पाकिस्तान निर्वासित किये जाने की तैयारी है

नयी दिल्ली, 02 मई। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान निर्वासन के खतरे का सामना कर रहे श्रीनगर के एक परिवार को शुक्रवार को अंतरिम राहत दी।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उस परिवार के खिलाफ निर्वासन सहित कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई न करें, जब तक कि उनके भारतीय राष्ट्रीयता के दावों की पुष्टि करने के बाद कोई निर्णय न हो जाए।

पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए थे। इस क्रूर घटना के बाद के बाद श्रीनगर का एक विवाहित जोड़ा और उनके चार बच्चों पर निर्वासन का खतरा मंडरा रहा है। परिवार ने अदालत के समक्ष दलील दी है कि वे भारतीय नागरिक हैं और उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और भारतीय पासपोर्ट जैसे वैध सरकारी पहचान पत्र हैं।

पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इस वजह से भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दीं और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता-परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में लिया गया, जबकि उनमें से एक ने बहुत पहले ही अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट सरैंडर दिया था और भारत में बस गया था।

■ परिवार ने कोर्ट में अपील की थी कि उसने बहुत पहले अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट सरैंडर कर दिया था। उनके पास सभी वैध भारतीय दस्तावेज हैं और वो भारतीय हैं।

परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता नंद किशोर ने अदालत को बताया कि परिवार का एक सदस्य बेंगलुरु में काम करता है, जबकि बाकी श्रीनगर में रहते हैं।

संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने किसी भी कार्रवाई से पहले परिवार के दस्तावेजों के उचित सत्यापन की आवश्यकता पर जोर दिया।

पीठ ने कहा, मानवीय तत्व के अलावा, ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सत्यापित करने की आवश्यकता है। चूंकि तथ्यात्मक दलील के सत्यापन की आवश्यकता है, इसलिए हम मामले को बिना किसी गुण-दोष के निपटाते हैं। अधिकारियों को दस्तावेजों और उनके ध्यान में लाए गए किसी भी अन्य प्रासंगिक तथ्य को सत्यापित करने का निर्देश देते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा, "इस आदेश को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह आदेश इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है।" हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भारतीय नागरिक होने के बावजूद पूरे परिवार को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने कहा जब तक ऐसा सत्यापन पूरा नहीं हो जाता और अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उनके खिलाफ कोई निर्वासन या अन्य बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

शीर्ष अदालत ने मामले को बंद कर दिया और परिवार के दावों को सत्यापित करने का काम अधिकारियों पर छोड़ दिया।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्सः 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, 2418945, फैक्सः 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोनः 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोनः 256906, 256907, फैक्स:01562-256908